... Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 1906
1/87151/2022
1/87151/2022

महत्वपूर्ण / समयबद्ध
ई0पत्रावली संख्या–19069

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल / ऊधमसिंहनगर।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक** 30 **दिसम्बर, 2022**

विषयः जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–19(7) के अन्तर्गत निर्धारित पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन तथा घोषणा की समयावधि को विस्तार देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–761 / II(2) / 2021–17(06) / 2015,टी0सी0–II, दिनांक 03.06.2021(प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना के लिए भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के आलोक में उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम–2013 की धारा–11(1) से सम्बन्धित अधिसूचना और भूमि अर्जन की कार्यवाही नियमानुसार अपने स्तर से करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पत्र संख्या–5044 / प्र0अ0 / सि0वि0 / धारा–11 / 2021–22, दिनांक 07.11.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना के भूमि अर्जन, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–11 के अन्तर्गत दिनांक 24.12.2021 को अर्जित की जानी वाली भूमि के ब्यौरे सहित प्रारम्भिक सूचना का प्रकाशन किया गया था। निर्धारित अवधि में पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का गठन, प्रकाशन व घोषणा हो पाना सम्भव नहीं है। उक्त के दृष्टिगत परियोजना हेतु पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार के प्रकाशन व घोषणा हेतु अतिरिक्त 12 माह का विस्तार देने का अनुरोध किया गया है।

प्रमुख अभियन्ता द्वारा किये गये अनुरोध एवं उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–19(7) के अन्तर्गत परियोजना की पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार के प्रकाशन व घोषणा हेतु दिनांक 24.12.2022 से अतिरिक्त 12 माह का विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया परियोजना हेतु पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार के प्रकाशन व घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त 12 माह का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में समयबद्ध रूप से नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 28-12-2022 20:22:01

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

...s from eOffice by RANVIR SINGH RO-AS RO - IRRIGATION Irrigation and Minor Irrigation Department on 30/12/2022 12:52 PM